भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 276
दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सामाजिक उत्थान

†276. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:
क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत कम्पनियों ने सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार चित्रदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया है;
(ख) यदि हां, तो सामाजिक उत्थान के लिए किए गए ऐसे कार्यों का कम्पनी-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): खान मंत्रालय के अंतर्गत तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) हैं अर्थात् नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) जिसकी अधिकांश प्रचालन इकाइयां ओडिशा में हैं; हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) जिसकी प्रचालन इकाइयां गुजरात, राजस्थान (खेतड़ी), झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं; और नागपुर स्थित मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल), जो खनिजों का परियोजना आधारित गवेषण करता है।

चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में खान मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में प्रावधान है कि कोई कंपनी सीएसआर कार्यकलापों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए उन स्थानीय क्षेत्रों और उसके आस पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, जहाँ वह प्रचालनरत है।

*****